न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 04/2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. आशाराम ओझा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ओझा उम्र 57 वर्ष, **(एफबीओ/विक्रेता)** मैसर्स न्यू ओझा स्वीट होम, न्यू बस स्टेण्ड, ओसियां, जिला जोधपुर निवासी देव का कुआं के पास, रेल्वे स्टेशन रोड़, ओसियां, जिला जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी श्री आशाराम ओझा स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 29.03.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.10.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स न्यू ओझा स्वीट होम, न्यू बस स्टेण्ड, ओसियां जिला जोधपुर पर पहुंचकर निरीक्षण करने पर श्री आशाराम ओझा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ओझा (एफबीओ/मालिक), उम्र 57 वर्ष, निवासी देव का कुआं के पास, रेल्वे स्टेशन रोड़, ओसियां जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु मिठाईया, नमकीन एवं मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित्त मिठाई) आदि का विक्रय करते हुए पाये गये। मालिक एवं विक्रेता से वर्ष 2018 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने पेश किया। दुकान का निरीक्षण करने पर **मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित्त मिठाई) करीबन 5 किलोग्राम** विक्रय काउन्टर में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाह श्री रामनिवास तिवाड़ी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण निवासी सिखवालों की ढाणी, बिलावास, गोटल जिला नागौर एवं मेरे साथ गये श्री रेंवतसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को उनके बताये गये बाजार भाव से रूपये 600/- नगद देकर **मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित्त मिठाई) 2 किलोग्राम** वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित्त मिठाई) 2 किलोग्राम** को साफ चम्मच से हिला मिलाकर एक रूप कर चार प्लास्टिक की नमूना बोटल्स में बराबर बराबर (500 ग्राम) मात्रा में डालकर प्रत्येक बोटल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40-40 बूंदे बतौर परिरक्षक की डालकर प्रत्येक बोटल्स को एयर टाइट

बंद कर इन हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम-1906** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान, दिनांक एवं परिरक्षक की मात्रा एवं प्रकृति अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारो नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम-1906** हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें गोलाई में गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एम-1906** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की तथा मौका फर्द पर स्वयं गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 23.10.2018 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एम 1906** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/727/एक्ट/2018/743 दिनांक 30.10.2018 अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित्त मिठाई)** का नमूना मिल्क फेट की बी.आर.रिडिंग निर्धारित मानक 40.0 से 44.0 के मध्य होने के स्थान पर 47.54 होने के कारण एवं रेचिट बैल्यू न्यूनतम 24.0 के स्थान पर 13.83 होने से निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण **अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन, पदस्थापना आदेश कार्यक्षेत्र की प्रति, संशोधित नोटिफिकेशन, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, एफएसएसए के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र संख्या 22214005002448, नमूना संख्या एम-1906 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एम-1906 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी को जमा जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 635-636, जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस/727/एक्ट/2018/743, न्याय निर्णयन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 18.02.19 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण से संबंधित जवाब/बहस की जिसमें उन्होने बताया कि दिनांक

22.10.2018 को प्रार्थी की दुकान से मिल्क केक एवं दूध शक्कर निर्मित्त मिठाई का नमूना वास्ते जांच हेतु लिया गया था जो बाद जांच अमानक स्तर का होना पाया गया। प्रार्थी छोटा खाद्य कारोबार करता है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर मिल्क केक में मिलावट नहीं की गई है एवं इसमें स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक कोई तत्व नहीं पाया गया है। भविष्य में इसकी पुनरावर्ति नहीं की जायेगी। अत: अप्रार्थीद्वारा अपनी बहस में परिवाद में कम से कम जुर्माना से दण्डित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने एवं प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 51 के तहत दोषी है। अत: अप्रार्थी पर शास्ति रूपये **5,000/- (अक्षरे रूपये पाँच हजार मात्र)** आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 29.03.2019 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर